

निगा० - ४४४२/२०१८/ रीवा/ विलोपित

न्यायालय श्रीमान राजेंद्र मण्डल म०प० खालियर, कैम्प कोर्ट रीवा, म०प०



दिलावर बक्स तथा चिराग अंली, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम बराबैकी, दा
तछील छनुमना, जिला रीवा म०प० -

— निगरानी कता०

बनाम

सिराजुद्दीन तथा जानमोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दादर, तहस
हनुमना, जिला रीवा म०प० -

— गैरनिगरानी कता०

अधिनियम का०
सिन्हा ठारा प्रेषा । १८.७.१८
मूलक अफ गट
ग्राम मण्डल चया० बाली
(संकेत कोटी रोड)

निगरानी विलोपित न्यायालय अपर कैम्प क्टर जिल
रीवा के पु.कृ. ७४/अपील/अ-६६/१७-१८ पारि
आदेश दिनांक १६.०७.१८ के आदेश को निरस्त
किये जाने ।

=====
निगरानी अन्तर्गत धारा ७ वास्तव्यान अधिनियम
१९८० द्वा० ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैः-

1 :- यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कैम्प क्टर जिला रीवा के द्वारा प्रकरण
कृ. ७४/अपील/अ-६६/१७-१८ पारित आदेश दिनांक १६.०७.१८ विधि प्रक्रिया
एवं सिध्दान्तों के विपरीत पारित आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2 :- यह कि दिलावर बक्स मजदूर एवं अशिक्षित, अल्पसंख्यक होने के साथ
निवास हेतु उसके हित में निजी स्वत्व की कोई भी भूमि नहीं है, जिसमें

५/१/१९

प्राची वा त्रिवेदीन किंवा
लग्ना राजीविका वा त्रिवेदीन
किंवा

विद्युत-प्रका शी लाई
राजीविका ही उत्तरी की ओर
कीदो छाड्हा त्रिवेदीन-प्रका लाई
वहे लग्ना ही इत्य-पर
शमाई किंवा जात ही प्राची
त्रिवेदीन किंवा ही

किंवा